भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2112
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

पहचान किए गए शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

† 2112. श्री ईश्वरस्वामी के.:
श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में कितने जिलों को शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की श्रेणी में रखा गया है और उनके नाम क्या हैं;
(ख) नवीनतम जनगणना अथवा सर्वेक्षण के अनुसार इन जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है;
(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों, विशेषकर राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान इन जिलों में शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने के लिए शुरू की गई योजनाओं/पहलों जैसे विशेष वित्तपोषण, छात्रवृत्ति कार्यक्रमों और अवसंरचना विकास आदि का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) इन लक्ष्यों को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य वर्ष 2018-19 से शुरू की गई स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात समग्र शिक्षा के माध्यम से प्री-प्राथमिक से कक्षा 12 तक सभी के लिए स्कूल शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा योजना एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को समान और समावेशी कक्षा के माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

इस विभाग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) की पहचान की थी, जहां महिला ग्रामीण आर्थिक दर राष्ट्रीय स्तर से कम थी, पूर्व के सर्व शिक्षा अभियान के तहत, ईबीबीई में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबी) को अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे की बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासी विद्यालय के रूप में स्वीकृति दी गई थी।
तथापि, जनवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा पिछड़े जिलों के सामाजिक परिणामों में सुधार हेतु आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत के साथ, सरकार के कार्यक्रम अब देश के आकांक्षी जिलों में अवसंरचना और अधिगम की कमी को पूरा करने के लिए अनुकूलित हैं। 26 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में 112 आकांक्षी जिले हैं और तमिलनाडु सहित आकांक्षी जिलों की राज्यवार सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सभी जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सहित मूल जनसंख्या के आंकड़ों की जानकारी वेबसाइट www.censusindia.gov.in पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/42557/download/46183/2011-IndiaStateDist-0000.xlsx

(घ) और (ड.): सरकार, समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) जिसे 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2026 तक एकीकृत स्कूल शिक्षा क्षेत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मौजूदा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को सुदृढ़ बनाने, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+) से निर्धारित अंतराल और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अवसंरचना सुविधाओं के सृजन और संवर्द्धन में सहायता करती है। स्कूलों की आवश्यकता और स्कूलों में अवसंरचना सुविधाओं पर प्रतिवर्ष संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर बढ़ोत्तरी आधार पर काम किया जाता है और उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में दर्शाया जाता है। इसके बाद इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से किया जाता है। इसके अलावा, सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से एससी/एसटी/ईबी पर विशेष ध्यान दिया जाता है:

i. **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय** (**केजीबीवी**): समग्र शिक्षा के तहत, केजीबीवी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों की बालिकाओं के लिए कक्षा **VI** से **XII** तक के आवासीय विद्यालय का प्रावधान है। केजीबीवी शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जाते हैं। केजीबीवी की स्थापना का उद्देश्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके लाभवंचित समूहों की बालिकाओं के लिए पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतराल को कम करना है। लगभग **1.93** लाख एससी, **1.83** लाख एसटी, **46,858** बीपीएल, **2.59** लाख ओबीसी और **28,761**

मुस्लिम वर्तमान में देशभर में **5133** केजीबीवी में नामांकित हैं। तमिलनाडु में**, 2679** एससी**, 1960** एसटी**, 4846** ओबीसी**, 234** बीपीएल और **22** मुस्लिम वर्तमान में **105** केजीबीवी में नामांकित हैं।

ii. **नेताजी सुभाष चन्द्र बॉस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी)**- समग्र शिक्षा एनएससीबीएवी नामक उपाय के तहत आवासीय सुविधाओं के प्रावधान का सहयोग करती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य बालिकाओं, शहरी वंचित और अन्य वंचित बच्चों तक पहुंचना और दूरदराज के, कम आबादी वाले और पहुंचने में कठिन क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जंगलों, जलमार्गों, नदियों आदि जैसी प्राकृतिक बाधाओं वाले बड़े निर्जन क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा तक समान पहुंच बनाना है। वर्तमान में, समग्र शिक्षा के तहत 1182 आवासीय स्कूल / छात्रावास स्वीकृत हैं।

iii. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन)** जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और मिशन मोड में स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी अवसंरचना से संयुक्त करना है। शिक्षा मंत्रालय इस अभियान में भाग लेने वाले मंत्रालयों में से एक है और पीएम-जनमन को समग्र शिक्षा योजना के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान, तमिलनाडु में 8 छात्रावासों सहित 194 छात्रावासों के लिए 476.16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

iv. **आरटीआई का अधिकार** - निःशुल्क यूनिफॉर्म का प्रावधान: समग्र शिक्षा सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 600 रुपये प्रति बच्चे की औसत लागत पर दो सेट यूनिफॉर्म के लिए सहायता प्रदान करती है, जहां भी राज्य सरकारों ने अपने राज्य आरटीई नियमों में बच्चों के अधिकार के रूप में स्कूल यूनिफॉर्म के प्रावधान को शामिल किया है।

राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना: केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, ताकि कक्षा आठ में उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाए और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के तहत कक्षा 9 के चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष एक लाख नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं और कक्षा 10 से 12 तक राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए उन्हें जारी रखा जाता है/नवीनीकृत किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि 12000/- रुपये प्रति वर्ष है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु के लिए स्वीकृत राशि और लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय): यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जा रही एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें आदर्श ग्राम, अनुदान सहायता और छात्रावास जैसे तीन घटक शामिल हैं। इसके एक घटक 'छात्रावास' का उद्देश्य अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों (लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग) के लिए नए छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। संबंधित राज्य सरकारों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर छात्रावासों का निर्माण शुरू किया जाता है। वर्ष 2021-22 से अब तक 5185 लाभार्थियों के लिए कुल 46 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और छात्रावास घटक के तहत 126.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इसके अलावा, भारत सरकार प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री), पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण), उल्लास- न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम जैसी योजनाएं भी लागू कर रही है, ताकि पर्याप्त स्कूल अवसंरचना (डिजिटल सहित), शिक्षण सामग्री, शिक्षक सहायता, पोषण, ईडब्ल्यूएस के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा सके, ताकि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सभी छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार हो सके, जिसमें आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

उपरोक्त योजनाओं और उपायों से स्कूलों में सभी श्रेणियों के छात्रों का नामांकन बढ़ाने में सहायता मिली है। अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन (प्री-प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक) वर्ष 2018-19 में 4.39 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4.97 करोड़ हो गया है और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन वर्ष 2018-19 में 2.33 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 2.60 करोड़ हो गया है।

******

अनुलग्नक I

पहचान किए गए शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री ईश्वरसामी के और श्री पी वी मिथुन रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 09.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2112 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

112 आकांक्षी जिलों की सूची

क्र. सं.	राज्य	जिले
1	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीतामराजू
2	आंध्र प्रदेश	पार्वतीपुरम मान्यम
3	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर.
4	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई
5	असम	गोलपाड़ा
6	असम	बारपेटा
7	असम	हैलाकांडी
8	असम	बक्सा
9	असम	दरांग
10	असम	उदलगुड़ी
11	असम	धुबरी
12	बिहार	सीतामढ़ी
13	बिहार	अररिया
14	बिहार	पूर्णिया
15	बिहार	कटिहार
16	बिहार	मुजफ्फरपुर
17	बिहार	बेगूसराय
18	बिहार	खगरिया
19	बिहार	बांका
20	बिहार	शेखपुरा
21	बिहार	औरंगाबाद
22	बिहार	गया
23	बिहार	नवादा
24	बिहार	जमुई
25	छतीसगढ	कोरबा
26	छतीसगढ	राजनंदगांव
27	छतीसगढ	महासमुंद
28	छतीसगढ	कांकेर
29	छतीसगढ	नारायणपुर
30	छतीसगढ	दंतेवाड़ा
31	छतीसगढ	बीजापुर
32	छतीसगढ	बस्तर
33	छतीसगढ	कोंडागांव
34	छतीसगढ	सुकमा

क्र. सं.	राज्य	जिले
35	गुजरात	दाहोद
36	गुजरात	नर्मदा
37	हरियाणा	मेवात
38	हिमाचल प्रदेश	चंबा
39	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	कुपवाड़ा
40	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला
41	झारखंड	गढ़वा
42	झारखंड	चतरा
43	झारखंड	गिरिडीह
44	झारखंड	गोड्डा
45	झारखंड	साहिबगंज
46	झारखंड	पाकुर
47	झारखंड	बोकारो
48	झारखंड	लोहरदगा
49	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम
50	झारखंड	पलामू
51	झारखंड	लातेहार
52	झारखंड	हजारीबाग
53	झारखंड	रामगढ़
54	झारखंड	दुमका
55	झारखंड	रांची
56	झारखंड	खूंटी
57	झारखंड	गुमला
58	झारखंड	सिमडेगा
59	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम
60	कर्नाटक	रायचूर
61	कर्नाटक	यादगीर
62	केरल	वायनाड
63	मध्य प्रदेश	छतरपुर
64	मध्य प्रदेश	दमोह
65	मध्य प्रदेश	बड़वानी
66	मध्य प्रदेश	राजगढ़
67	मध्य प्रदेश	विदिशा
68	मध्य प्रदेश	गुना
69	मध्य प्रदेश	सिंगरौली
70	मध्य प्रदेश	खंडवा
71	महाराष्ट्र	नंदुरबार
72	महाराष्ट्र	वाशिम
73	महाराष्ट्र	गडचिरोली
74	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद
75	मणिपुर	चंदेल

क्र. सं.	राज्य	जिले
76	मेघालय	रिभोई
77	मिजोरम	मामित
78	नगालैंड	किफायर
79	ओडिशा	ढेंकनाल
80	ओडिशा	गजपति
81	ओडिशा	कंधमाल
82	ओडिशा	बलांगीर
83	ओडिशा	कालाहांडी
84	ओडिशा	रायगढ़
85	ओडिशा	कोरापुट
86	ओडिशा	मल्कानगिरी
87	ओडिशा	नबरंगपुर
88	ओडिशा	नुआपाड़ा
89	पंजाब	मोगा
90	पंजाब	फिरोजपुर
91	राजस्थान	धौलपुर
92	राजस्थान	करौली
93	राजस्थान	जैसलमेर
94	राजस्थान	सिरोही
95	राजस्थान	बारां
96	सिक्किम	सोरेंग
97	**तमिलनाडु**	**विरुधुनगर**
98	**तमिलनाडु**	**रामनाथपुरम**
99	तेलंगाना	आसिफाबाद
100	तेलंगाना	भूपालपल्ली
101	तेलंगाना	भद्राद्री-कोठागुडेम
102	त्रिपुरा	धलाई
103	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट
104	उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर
105	उत्तर प्रदेश	बहराईच
106	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
107	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
108	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर
109	उत्तर प्रदेश	चंदौली
110	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
111	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर
112	उत्तराखंड	हरिद्वार

*****

अनुलग्नक-II

पहचान किए गए शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री ईश्वरसामी के और श्री पी वी मिधुन रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 09.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2112 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

तमिलनाडु राज्य में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान जारी छात्रवृत्तियों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**छात्रवृत्तियों की संख्या**	**राशि संस्वीकृति (रु. लाख में)**
1.	2019-20	44412	5329.44
2.	2020-21	26932	3231.84
3.	2021-22	22215	2665.80
4.	2022-23	22801	2736.12
5.	2023-24	23183	2781.96

टिप्पणी : यह धनराशि राज्यों को जारी/आवंटित नहीं की जाती है, बल्कि भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली को जारी की जाती है, जो छात्रवृत्ति राशि को सीधे छात्रों के बैंक खातों में वितरित कर देती है।

*****